न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या :- 12 / 2024 दायर दिनांकः- 08.01.2024

जीसीएमएस नं0 2024 / 28

धनपाल पुत्र श्री श्रीलाल उम्र 65 साल जाति मीना निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

-------सायल

बनाम

1. पृथ्वी पुत्र प्रभू आयु 50 साल
2. मानसिंह पुत्र प्रभू आयु 48 साल
3. रूपसिंह पुत्र श्री प्रभू आयु 30 साल
4. रूपसिंह पुत्र दौजी आयु 35 साल
5. भगवानसिंह पुत्र बद्री आयु 35 साल
6. चरण सिं पुत्र बद्री आयु 32 साल
7. जवाहरसिंह पुत्र बद्री आयु 40 साल

जाति-मीना, निवासी-सिकरौदा जट्ट तहसील-हिण्डौन सिटी, जिला-करौली राज0

-------गैरसायलान-07

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः- 1. श्री मुरारी लाल करसौलिया अधिवक्ता सायल

2. गैरसायलान 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक :-

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 730 रकवा 10 ऐयर, रकवा 23 ऐयर, 732 रकवा 28 ऐयर, 733 रकवा 31 ऐयर, 734 रकवा 29 ऐयर, 735 रकवा 17 ऐयर, 736 रकवा 2 ऐयर, 737 रकवा 2 ऐयर, 738 रकवा 36 ऐयर, 739 रकवा 33 ऐयर, 740 रकवा 28 ऐयर, 749 रकवा 25 ऐयर, 750 रकवा 26 ऐयर, 752 रकवा 57 ऐयर, 754 रकवा 31 ऐयर, 755 रकवा 32 ऐयर कुल किता 16 कुल रकवा 4.10 है0 भूमि वाके ग्राम कॉचरौली तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें सायल 1/8 का हिस्सेदार खातेदार तथा काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा नं0 751 रकवा 34 ऐयर, 756 रकवा 29 ऐयर, 757 रकवा 34 ऐयर, 758 रकवा 35 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकवा 1.32 है0 भूमि वाके ग्राम कॉचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 है जिसमें कि सायल 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा नं0 559 रकवा 0.32 है0, 559 रकवा 32 ऐयर भूमि वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें कि वादी

247/6272 का हिस्सेदार खातेदार तथा काश्तकार है, तथा खसरा नं0 562 रकबा 29 ऐयर भूमि जिसमें सायल 13/196 का हिस्सेदार खातेदार तथा काश्तकार है। तथा खसरा नं0 495 रकबा 42 ऐयर भूमि जिसमें सायल 13/84 का हिस्सेदार खातेदार तथा काश्तकार है। जो कि उक्त आराजीयात भूमि वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन में ही स्थित है।

सायल सीधा सादा व्यक्ति है, जबकि गैरसायलान का एक गिरोह है जो कि सायल को आये दिन उक्त आराजीयात को लेकर हैरान परेशान करते हैं, अर्थात गैरसायलान सायल के हिस्से की उक्त आराजीयात भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। सायल की भूमि की डौल मेड को तोडते हैं तथा जब सायल अपने हिस्सेदारी भूमि में काश्त करने की तैयारी करते हैं तो सायल को व उसके साधन को नहीं निकलने देते हैं जिससे सायल को काश्त करने में भारी परेशानी का सामना झेलना पडता है। इस प्रकार सायल गैरसायलान के उक्त कृत्य से भारी मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान हो गया है। तथा सायल को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालते हैं। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केश बखूबी साबित है।

दिनांक 154.01.2024 को सायल अपनी उक्त आराजीयात भूमि में पानी दे रहा था तो गैरसायलान अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर आये और कहने लगे कि हम जमीन से बाहर निकल जा इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। हम लाठी के बल पर इसे लेकर रहेगें। सायल ने गैरसायलान को काफी समझाया तथा हाथा जोडी की लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मी पर आमादा है तथा आज खुरद मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद वादी ने गाव के गणमान्य व्यक्तियों से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान अजखुद मनने को तैयार नहीं है तथा अपनी हठधर्मी पर तुले हुये हैं। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में बाज नहीं आये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति करना किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। तथा सायल के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई और जमीन नहीं है। यदि गैरसायलान ने सायल के हिस्से की उक्त आराजी भूमि पर कब्जा कर लिया तो सायल के बाल बच्चे भूखे मर जावेगें। तथा सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान वावत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद फरमाया जावे कि दौरान दावा गैरसायलान सायल को आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 730 रकवा 10 ऐयर, रकवा 23 ऐयर, 732 रकवा 28 ऐयर, 733 रकवा 31 ऐयर, 734 रकवा 29 ऐयर, 735 रकवा 17 ऐयर, 736 रकवा 2 ऐयर, 737 रकवा 2 ऐयर, 738 रकवा 36 ऐयर, 739 रकवा 33 ऐयर, 740 रकवा 28 ऐयर, 749 रकवा 25 ऐयर, 750 रकवा 26 ऐयर, 752 रकवा 57 ऐयर, 754 रकवा 31 ऐयर, 755 रकवा 32 ऐयर कुल किता 16 कुल रकवा 4.10 है0 भूमि वाके ग्राम कॉचरौली तहसील हिण्डौन में सायल के 1/8 भाग तथा मद नं0 3 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 751 रकवा 34 ऐयर, 756 रकवा 29 ऐयर, 757 रकवा 34 ऐयर, 758 रकवा 35 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकवा 1.32 है0 भूमि वाके ग्राम कॉचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 है, जिसमें कि सायल 1/4 भाग तथा मद नं0 4 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 559 रकवा 0.32 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन में सायल के 247/6272 हिस्से तथा भूमि खसरा नं0 562 रकवा 29 ऐयर भूमि जिसमें सायल के 13/196 हिस्से तथा खसरा नं0 495 रकवा 42 ऐयर जिसमें सायल के 13/84 हिस्से वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन को सायल को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। सायल को जबरन उसकी उक्त आराजीयात भूमि से बेदखल नहीं करें। सायल के हिस्से की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करें। सायल व उसके साधनों को निकलने में कोई बाधा नहीं डालें। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल को कोई क्षति पहुंचती हो। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान न0 1 ता 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 23.07.2024 से गैरसायलान सं0 1 व 7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को समर्थन करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 196, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 197, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 135, जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

संवत 2070–73 खाता संख्या 136, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 234 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि खसरा न0 खसरा न0 730 रकवा 10 ऐयर, रकवा 23 ऐयर, 732 रकवा 28 ऐयर, 733 रकवा 31 ऐयर, 734 रकवा 29 ऐयर, 735 रकवा 17 ऐयर, 736 रकवा 2 ऐयर, 737 रकवा 2 ऐयर, 738 रकवा 36 ऐयर, 739 रकवा 33 ऐयर, 740 रकवा 28 ऐयर, 749 रकवा 25 ऐयर, 750 रकवा 26 ऐयर, 752 रकवा 57 ऐयर, 754 रकवा 31 ऐयर, 755 रकवा 32 ऐयर कुल किता 16 कुल रकवा 4.10 है0 भूमि वाके ग्राम कॉचरौली तहसील हिण्डौन में सायल के 1/8 भाग तथा मद नं0 3 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 751 रकवा 34 ऐयर, 756 रकवा 29 ऐयर, 757 रकवा 34 ऐयर, 758 रकवा 35 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकवा 1.32 है0 भूमि वाके ग्राम कॉचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 है, जिसमें कि सायल 1/4 भाग तथा मद नं0 4 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 559 रकवा 0.32 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन में सायल के 247/6272 हिस्से तथा भूमि खसरा नं0 562 रकवा 29 ऐयर भूमि जिसमें सायल के 13/196 हिस्से तथा खसरा नं0 495 रकवा 42 ऐयर जिसमें सायल के 13/84 हिस्से वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन को सायल को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। सायल को जबरन उसकी उक्त आराजीयात भूमि से बेदखल नहीं करें। सायल के हिस्से की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करें। सायल व उसके साधनों को निकलने में कोई बाधा नहीं डालें। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल को कोई क्षति पहुंचती हो। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

हमने एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 196, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 197, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या [illegible], जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 136, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 234 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन, का सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

और संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पावन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं के कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 18/12/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
18/12/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested